

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
विविध बैंक प्रकरण संख्या 171/2024(GCMS : 2024/251)

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा – राम नगर, श्रीगंगानगर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबंधक, श्रीमती पूनम गुप्ता, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर

**बनाम**

कमल वर्मा पुत्र श्री लूणा राम वर्मा निवासी मकान नं. 06, गांव 3 ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं मेग्गी कॉर्नर, 103 वृन्दावन विहार, बिहाणी चिल्ड्रेन एकेडमी के सामने, श्रीगंगानगर 335001



**03.12.2024**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी कमल वर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 9.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.09.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 09.08.2024 को 7,83,143/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कमल वर्मा द्वारा बंधक रखी अपनी चल सम्पत्ति **Details of Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ13 CE 9138, Maker's Name TATA Motors passenger Vehicles Ltd, Model Name-TATA NEXON XM + (S) 1.2 RTN BS6, Engine No. REVTRN 11EXXK63989, Chassis No. MAT627051NLG77769, Color CALAGARY WHITE,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी कमल वर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 9.00/- लाख रुपये (अखये रुपये नौ लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 21.09.2022 को

**न्याय**  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी कमल वर्मा ने अपनी चल सम्पत्ति **Details of Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ13 CE 9138, Maker's Name TATA Motors passenger Vehicles Ltd, Model Name-TATA NEXON XM + (S) 1.2 RTN BS6, Engine No. REVTRN 11EXXK63989, Chassis No. MAT627051NLG77769, Color CALAGARY WHITE,** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 22.07.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, जो पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक के अनुसार अप्रार्थी को प्राप्त हो गए हैं।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी कमल वर्मा की अचल सम्पत्ति


**Details of Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ 13 CE 9138, Maker's Name TATA Motors passenger Vehicles Ltd, Model Name-TATA NEXON XM + (S) 1.2 RTN BS6, Engine No. REVTRN 11EXXK63989, Chassis No. MAT627051NLG77769, Color CALAGARY WHITE,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 16.08.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 16.08.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.08.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी कमल वर्मा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी कमल वर्मा द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई चल सम्पत्ति **Details of Hypothecated Vehicle – Registration No. RJ13 CE 9138, Maker's Name TATA Motors passenger Vehicles Ltd, Model Name-TATA NEXON XM + (S) 1.2 RTN BS6, Engine No. REVTRN 11EXXK63989, Chassis No. MAT627051NLG77769, Color CALAGARY WHITE,** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(डॉ. मन्जू)

जिला मजिस्ट्रेट